NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 12-07-2025

विषय सूची

» UNEP फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2025
» महाराष्ट्र का 'शहरी माओवाद' विधेयक
» विकसित भारत के निर्माण में विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन करने के लिए NEP 2020 का पंच संकल्प
» कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): विनिर्माण परिदृश्य में परिवर्तन
» अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद का 134वां सत्र
» भारत की जनसंख्या संकट नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण बिन्द पर है: पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया
» भारत द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वयम की प्रथम ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू

संक्षिप्त समाचार

» भारत के 12 मराठा किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त
» कैलाश-मानसरोवर यात्रा पांच वर्ष पश्चात् पुनः प्रारंभ
» संचार मित्र योजना
» ट्रांस-फैटी एसिड पर संयुक्त राष्ट्र मसौदा घोषणा पर परिचर्चा
» HtBt कपास
» रोडिस इंडिया(RhoDIS India)
» अस्त्र मिसाइल

UNEP फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2025

समाचार में

- सातवां संस्करण, *फ्रंटियर्स 2025: समय का भार – लोगों और पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए चुनौतियों के नए युग का सामना करना*, उभरते पर्यावरणीय खतरों और संभावित समाधानों को प्रकट करता है।

मुख्य विशेषताएँ

- **हीटवेव और संवेदनशील जनसंख्या:** अत्यधिक गर्मी की घटनाएँ बार-बार और अधिक तीव्र होती जा रही हैं, जिससे 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में मृत्यु दर और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं; इस समूह में गर्मी से संबंधित मृत्युओं में 1990 के दशक से 85% की वृद्धि हुई है।
  - गंभीर और लंबे समय तक अत्यधिक गर्मी या ठंड के संपर्क में रहने से हृदय संबंधी, मस्तिष्क संबंधी और श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
- **क्रायोस्फेयर का पतन और ज़ोंबी सूक्ष्मजीव:** पिघलते ग्लेशियर और पर्माफ्रॉस्ट ("क्रायोस्फेयर का पतन") 670 मिलियन लोगों के लिए जल सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और प्राचीन सुप्त रोगाणुओं को पुनः सक्रिय करने का जोखिम उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रतिरोधी रोगाणु (AMR) का खतरा बढ़ता है।
- **पुराने और जोखिमपूर्ण बांध:** रिपोर्ट में असुरक्षित, अप्रचलित बांधों के खतरे की चेतावनी दी गई है, जो पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों को हानि पहुँचा सकते हैं; साथ ही यह सुझाव दिया गया है कि बांधों को हटाना नदियों और जैव विविधता को बहाल कर सकता है।
- **भारत विशेष प्रभाव:** 1986–2005 और 2013–2022 के बीच भारत में बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2.1–4 अतिरिक्त हीटवेव दिनों का सामना करना पड़ा। इससे गर्मी की लहरों के दौरान बुजुर्गों में बीमारी और मृत्यु दर में वृद्धि हुई है।

अनुशंसाएं

- **आयु-अनुकूल सहनशीलता के लिए शहरों को रूपांतरित करें:** प्रदूषण रहित, सहनशील और सुलभ शहरी स्थानों का विकास करें जिनमें भरपूर हरियाली हो।
  - शहरी नियोजन में वृद्ध जनसंख्या की ज़रूरतों को शामिल करें, विशेषकर अत्यधिक मौसम की घटनाओं के दौरान।
- **पूर्व चेतावनी और अनुकूलन में निवेश करें:** चरम गर्मी की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए मौसम स्टेशन नेटवर्क का विस्तार करें।
  - सामुदायिक आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा दें और बुजुर्गों को समय पर जानकारी की पहुँच सुनिश्चित करें।
- **'15-मिनट सिटी' दृष्टिकोण अपनाएं:** ऐसे मोहल्लों की योजना बनाएं जहाँ घर, कार्यस्थल, विद्यालय, दुकानें और हरे-भरे स्थान जैसी आवश्यक सेवाएँ पैदल या साइकिल से 15 मिनट की दूरी पर हों।
  - यह संक्षिप्त और सुलभ मॉडल बुजुर्गों के लिए स्वतंत्र जीवन को समर्थन देता है, कार निर्भरता को कम करता है, और वायु गुणवत्ता को सुधारता है।

Source: DTE

महाराष्ट्र का 'शहरी माओवाद' विधेयक

समाचार में

- *महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा (MSPS) विधेयक, 2024* — जिसे सामान्यतः 'अर्बन माओवाद' विधेयक कहा जा रहा है — हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

- इस विधेयक को वर्तमान कानूनों (जैसे कि यूएपीए) की अपर्याप्तता के जवाब में प्रस्तुत किया गया है, जो माओवादी संगठनों की बदलती रणनीतियों से निपटने में असमर्थ माने गए।
  - ये संगठन शहरी मोर्चों — जैसे कि एनजीओ, बौद्धिक मंडल, छात्र और मीडिया — का उपयोग ग्रामीण सशस्त्र संघर्ष के समर्थन और राज्य संस्थानों को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं।
  - महाराष्ट्र ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों की कतार में विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों को अपनाया है।

मुख्य विशेषताएं

- **उद्देश्य:** यह विधेयक शहरी नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए प्रतिबंधित संगठनों और उनकी गतिविधियों को शहरी क्षेत्रों में समर्थन देने — चाहे वह लिखित, मौखिक, प्रतीकात्मक या हिंसक हो — को अपराध घोषित करता है।
- **अवैध गतिविधि की परिभाषा:** इसमें ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करती हैं, कानून की अवहेलना को प्रोत्साहित करती हैं, या उग्रवादी संगठनों की सहायता करती हैं।
  - इसमें बौद्धिक, वित्तीय या रसद समर्थन शामिल हैं, जिनमें मीडिया अभियान और कानूनी रक्षा भी शामिल हैं।
- **राज्य का अधिकार:** सरकार संगठनों को "अवैध" घोषित कर सकती है और व्यक्तियों को सदस्यता, धन संग्रह, सहायता देने या अवैध कार्य करने के लिए दंडित कर सकती है।
- **दंड:** अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती माना जाएगा, जिनमें 2 से 7 वर्षों की कारावास और ₹2 लाख से ₹5 लाख तक के जुर्माने शामिल हैं।
- **संपत्ति की जब्ती:** राज्य अवैध संगठनों से जुड़ी संपत्तियों को दोष सिद्ध होने से पहले ही जब्त कर सकता है, जिसमें 15 दिन की नोटिस अवधि होगी; प्रभावित पक्ष उच्च न्यायालय में 30 दिनों के अंदर चुनौती दे सकते हैं।
- **संरक्षण उपाय:** केवल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ही जांच का नेतृत्व कर सकते हैं, और संगठनों की अवैध स्थिति की पुष्टि एक तीन सदस्यीय सलाहकार मंडल द्वारा की जाएगी, जिसमें उच्च न्यायालय की योग्यता वाले व्यक्ति शामिल होंगे।

Source: TH

विकसित भारत के निर्माण में विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन करने के लिए NEP 2020 का पंच संकल्प

संदर्भ

- केवड़िया, गुजरात में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु किया।

सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं

- **पंच संकल्प:** यह NEP 2020 के पांच मार्गदर्शक संकल्प हैं:
  - आगामी पीढ़ी की उभरती शिक्षा
  - बहुविषयक शिक्षा
  - नवाचारी शिक्षा
  - समग्र शिक्षा
  - भारतीय शिक्षा
- **शैक्षणिक त्रिवेणी संगम** प्रस्तावित किया गया जिससे शैक्षणिक दर्शन की रूपरेखा बन सके।
  - **भूतकाल का उत्सव:** भारत की सभ्यतागत समृद्धि का सम्मान।
  - **वर्तमान का परिशोधन:** कथा-प्रवर्तन और संस्थागत सुधार।
  - **भविष्य की रचना:** भारत को वैश्विक उच्च शिक्षा में पुनः स्थान दिलाना।

भारत में उच्च शिक्षा में प्रगति

- **कुल नामांकन वृद्धि:** कुल छात्र नामांकन 4.46 करोड़ तक पहुँच गया है, जो 2014–15 से 30% की वृद्धि दर्शाता है।
- **महिला सशक्तिकरण:** महिला नामांकन में 38% की वृद्धि हुई है, और महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात (GER) अब पुरुषों से अधिक है।
- **Ph.D. नामांकन:** इसमें लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है, जबकि महिला पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से 136% की बढ़ोतरी हुई है।
- **अनुसूचित जनजाति और जाति का GER:** ST का GER 10 प्रतिशत अंक बढ़ा है, जबकि SC के लिए यह 8 प्रतिशत अंकों से अधिक बढ़ा है।
- **संस्थागत विस्तार**
  - **विस्तारित नेटवर्क:** भारत में अब 1,200 से अधिक विश्वविद्यालय और 46,000 कॉलेज हैं, जिससे यह विश्व की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में शामिल है।

- **शिक्षक संख्या में वृद्धि:** 2021-22 में शिक्षकों की कुल संख्या 15.98 लाख हो गई है, जिनमें से 43.4% महिला हैं।

नई शिक्षा नीति 2020

- **बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE):** विशेष बल 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा पर।
- **बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा:** विद्यालय और उच्च शिक्षा स्तर पर।
- **5+3+3+4 संरचना का परिचय:** (5 वर्ष आधारभूत, 3 वर्ष तैयारी, 3 वर्ष मध्य, और 4 वर्ष माध्यमिक शिक्षा)।
- **मूल्यांकन आधारित शिक्षा:** रटंत ज्ञान के बजाय आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान पर बल।

सरकारी पहलें (उच्च शिक्षा हेतु)

- **पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना:** केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है।
- **SWAYAM और SWAYAM Prabha:** ये प्लेटफॉर्म क्रमशः MOOCs और शैक्षिक चैनल प्रदान करते हैं, ताकि गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच विस्तारित हो सके।
- **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA):** राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों को ढाँचागत विकास, अनुसंधान, और नवाचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **IMPRINT:** इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

आगे की राह

- प्रत्येक संस्थान को GER वृद्धि, पाठ्यक्रम संशोधन, डिजिटल विस्तार, और शिक्षक विकास के लिए समयबद्ध लक्ष्य के साथ NEP क्रियान्वयन की व्यापक रूपरेखा बनानी चाहिए।
- दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाने हेतु हाइब्रिड लर्निंग मॉडल को बढ़ावा दें।
- **अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा: अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन (ANRF)** को पारदर्शी वित्तीय तंत्र के साथ क्रियाशील बनाया जाए।
  - विश्वविद्यालयों में नवाचार केंद्र, इनक्यूबेशन सेंटर और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा दें।

Source: PIB

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): विनिर्माण परिदृश्य में परिवर्तन

संदर्भ

- निर्माण क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, जिसकी क्षमता अब भाप या स्टील नहीं बल्कि स्मार्ट एल्गोरिदम और बुद्धिमान प्रणालियाँ हैं।

निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

- AI का उपयोग प्रक्रियाओं, उत्पादन लाइनों, फैक्ट्रियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की वर्चुअल प्रतिकृति बनाने के लिए किया जाता है, जिससे वास्तविक समय में प्रदर्शन का विश्लेषण और पूर्वानुमान लगाया जा सके।

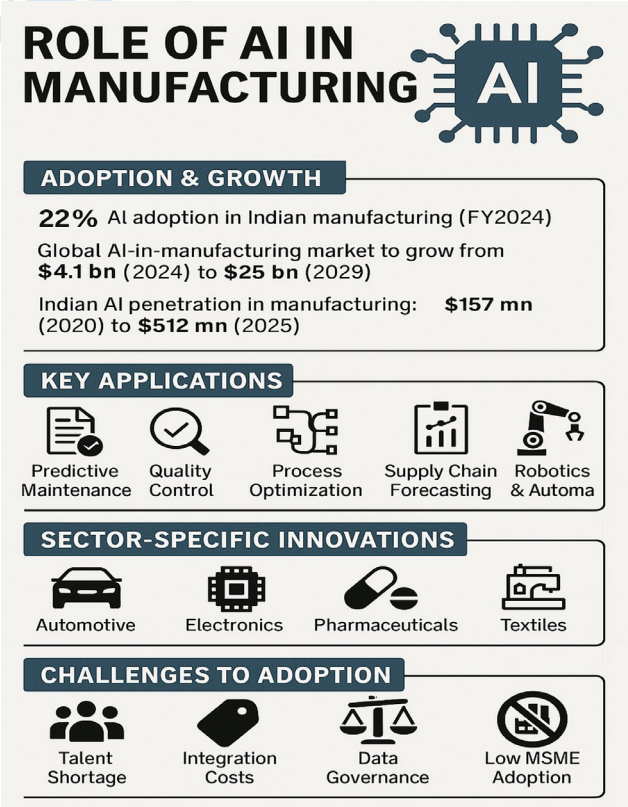

- यह पारंपरिक सुविधाओं को आधुनिक अत्याधुनिक संयंत्रों में परिवर्तित कर रहा है।
- यह उच्च उत्पादन, कम अपशिष्ट, वास्तविक समय अनुकूलन और स्मार्ट डिजाइन को सक्षम बनाता है।

वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएं

- वैश्विक स्तर पर AI-इन-मैन्युफैक्चरिंग बाजार 2024 में $4.1 बिलियन से बढ़कर 2029 तक $25 बिलियन से अधिक होने की संभावना है।
- भारत में FY2024 के दौरान निर्माण में AI अपनाने की दर 8% से बढ़कर 22% हो गई।
- डेटा और AI से भारत के GDP में $450–$500 बिलियन तक का योगदान 2025 तक हो सकता है।

निर्माण में AI के प्रमुख अनुप्रयोग

- **पूर्वानुमान आधारित रखरखाव:** सेंसर डेटा और मशीन लर्निंग का उपयोग करके डाउनटाइम को 30% तक कम करता है (McKinsey)।
- **गुणवत्ता नियंत्रण:** AI विज़न सिस्टम माइक्रो-डिफेक्ट्स को वास्तविक समय में पहचानते हैं।
- **प्रक्रिया अनुकूलन:** AI अपशिष्ट को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए वर्कफ्लो को गतिशील रूप से समायोजित करता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला पूर्वानुमान:** फुर्ती और प्रतिक्रिया क्षमता में 20% से अधिक वृद्धि करता है (IBM)।
- **रोबोटिक्स और स्वचालन:** कोबॉट्स दोहराए जाने वाले या उच्च जोखिम वाले कार्यों में कर्मचारियों की सहायता करते हैं, जिससे सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ती है।

उद्योग-विशिष्ट नवाचार

- **ऑटोमोबाइल:** AI-संचालित रोबोटिक्स असेंबली और निरीक्षण को सुलभ बनाते हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स:** मशीन विज़न घटकों की असेंबली में सटीकता सुनिश्चित करता है।
- **दवा उद्योग:** AI बड़े पैमाने पर उत्पादन की निगरानी करता है और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- **टेक्सटाइल:** CAD/CAM प्रणालियाँ कटाई, सिलाई और निरीक्षण को अनुकूलित करती हैं।

अपनाने की चुनौतियाँ

- **कौशल की कमी:** AI और मशीन लर्निंग में कौशल विकास की आवश्यकता।
- **एकीकरण लागत:** उच्च आरंभिक निवेश एमएसएमई द्वारा AI अपनाने को धीमा करता है।
- **डेटा गवर्नेंस:** AI मॉडल की पारदर्शिता और समझने योग्य होने को लेकर चिंता।
- **अविश्वसनीय कनेक्टिविटी:** खासकर द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में क्लाउड पहुँच में असमानता।
- **MSME द्वारा कम अपनाना:** केवल लगभग 15% लघु एवं मध्यम उद्यम AI का उपयोग कर रहे हैं।
- **सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण:** लगभग 44% निर्माता नेता जनरेटिव AI को अपनाने में संकोच कर रहे हैं।

सरकारी पहलें

- **AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (MeitY):** निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में जिम्मेदार AI उपयोग को बढ़ावा देता है।
- **समर्थ उद्योग भारत 4.0:** स्मार्ट फैक्टरी विकास और इंडस्ट्री 4.0 को समर्थन देता है।
- **IndiaAI मिशन:** ₹10,300 करोड़ आवंटित किए गए हैं ताकि AI अवसंरचना और स्वदेशी मॉडल तैयार किए जा सकें।
- **उत्कृष्टता केंद्र (CoEs):** स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और सतत शहरों में AI पर केंद्रित हैं।

Source: TH

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद का 134वां सत्र

संदर्भ

- भारत ने लंदन में आयोजित *अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)* की 134वीं परिषद बैठक के दौरान समुद्री सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

134वीं IMO बैठक में भारत के प्रमुख हस्तक्षेप

- **IMO-नेतृत्व में समुद्री घटनाओं की जांच की मांग:** भारत ने हाल की दुर्घटनाओं को उजागर किया, जिनके कारण कंटेनर हानि हुई है और खतरनाक माल का रिसाव हुआ, जैसे कि:
  - *MSC ELSA 3* का डूबना—यह कंटेनर जहाज खतरनाक माल ले जा रहा था, और मई 2025 में केरल के कोच्चि तट के पास डूब गया।
  - *WAN HAI 503* में आग और विस्फोट—यह जून 2025 में केरल तट के पास हुआ।
- **भारत ने IMO से आग्रह किया:**
  - ऐसी घटनाओं की व्यापक जांच की जाए।
  - *अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान (IMDG) संहिता* के अंतर्गत लिथियम-आयन बैटरियों जैसे खतरनाक माल की ढुलाई को लेकर वैश्विक मानकों की समीक्षा की जाए।
  - पैकेजिंग, घोषणा, भंडारण और निगरानी के अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल में सुधार किया जाए।
- **IMO-प्रेरित मानकीकरण का प्रस्ताव:**
  - घटनाओं की प्रतिक्रिया के लिए प्रोटोकॉल तय किए जाएं।
  - वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं बनाई जाएं और कंटेनर जहाजों की संचालन सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए।
- **भारत की "सागर में सम्मान" पहल:** भारत ने *"सागर में सम्मान"* (समुद्र में सम्मान) पहल का प्रदर्शन किया, जिसे 2024 में *महानिदेशक नौवहन* द्वारा शुरू किया गया था।

यह पहल:

- सुरक्षित और समावेशी समुद्री कार्यस्थल को बढ़ावा देती है।
- नौवहन से लेकर नेतृत्व स्तर तक महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

- भारत ने महिला नाविकों की संख्या में 650% की वृद्धि की रिपोर्ट दी।

कानून और सम्मेलन

- **MARPOL (जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन), 1973:** IMO द्वारा शुरू की गई यह संधि जहाजों से प्रदूषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को मान्यता देती है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है।
- **Maritime Labour Convention, 2006:** यह वैश्विक स्तर पर नाविकों के लिए न्यूनतम कार्य एवं जीवन मानकों को निर्धारित करता है, जिसमें समान अवसर, सुरक्षा, और जहाज पर लैंगिक समावेश शामिल हैं।
- **व्यापारी नौवहन अधिनियम, 1958:** यदि केंद्र सरकार को लगता है कि जहाज निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं है, तो वह मालिक को नोटिस दे सकती है। अनुपालन न होने पर सरकार व्यक्ति को दोषी ठहराने की शक्ति रखती है।

आगे की राह

- **IMO-स्तरीय संरचनात्मक सुधार:** खतरनाक माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनुपालन तंत्र को मजबूत किया जाए।
  - एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री घटना जांच निकाय की स्थापना।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** ब्लॉकचेन और AI का उपयोग माल की ट्रैकिंग और घोषणा की पारदर्शिता के लिए किया जाए।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** विकासशील देशों को IMDG कोड प्रोटोकॉल को लागू करने में सहायता दी जाए।

IMO के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) एक *संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी* है जो जहाजरानी के नियमन हेतु उत्तरदायी है।
- IMO की स्थापना 1948 में जेनेवा में एक यूएन सम्मेलन में सहमति के बाद की गई थी, और यह 1958 में प्रथम बार बैठक करके अस्तित्व में आया।
- ***मुख्यालय:*** लंदन, यूनाइटेड किंगडम
- वर्तमान में IMO के पास 176 सदस्य राष्ट्र और तीन सहयोगी सदस्य हैं।

- **महिला भागीदारी को प्रोत्साहन:** भारत की पहलों को वैश्विक स्तर पर दोहराकर समुद्री क्षेत्रों में लैंगिक समावेश को बढ़ावा दिया जाए।

Source: DD News

भारत की जनसंख्या संकट नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण बिन्द पर है: पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया

संदर्भ

- *विश्व जनसंख्या दिवस 2025 (11 जुलाई)* पर *पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया* ने यह रेखांकित किया कि भारत की वास्तविक चुनौती जनसंख्या के आकार में नहीं, बल्कि न्याय, लैंगिक समानता और मानव क्षमता में निवेश करने में है।

मुख्य विशेषताएँ

- ध्यान को प्रजनन अधिकारों, लैंगिक समानता और समावेशी विकास की ओर स्थानांतरित किया जाए।
- युवाओं, विशेषकर युवा महिलाओं को अपने जीवन और परिवारों के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त किया जाए।
- जनसांख्यिकीय यात्रा को एक अवसर के रूप में देखा जाए, न कि खतरे के रूप में — शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश किया जाए।

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश

- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** यह उस आर्थिक वृद्धि की संभावना को दर्शाता है जो जनसंख्या संरचना में बदलाव से उत्पन्न होती है — विशेषकर जब कार्यशील आयु वर्ग (15–64 वर्ष) की हिस्सेदारी गैर-कार्यशील आयु वर्ग (14 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक) से अधिक होती है।
  - यह आयु संरचना में परिवर्तन आमतौर पर प्रजनन दर और मृत्यु दर में गिरावट के कारण आता है।
- **भारत का लाभांश:** भारत अपनी बड़ी और युवा जनसंख्या के कारण वर्तमान में जनसांख्यिकीय लाभांश का अनुभव कर रहा है।
  - 2020 से 2050 के बीच भारत में कार्यशील आयु वर्ग में 18.3 करोड़ और लोग शामिल होंगे।
  - यह लाभांश लगभग 2041 में चरम पर होगा (जब कार्यशील जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 59% होगी) और इसके 2055 तक बने रहने की संभावना है।

भारत की वृद्ध होती जनसंख्या के आंकड़े

- *इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023* के अनुसार, 2022 में 60 वर्ष से अधिक आयु वालों की जनसंख्या 10.5% थी, जो 2050 तक बढ़कर 20.8% हो जाएगी।
- सदी के अंत तक वृद्ध जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 36% से अधिक हिस्सा होगी।
- **80+ वर्ष आयु वर्ग:** 2022 से 2050 के बीच इस वर्ग की जनसंख्या में लगभग 279% वृद्धि होगी, जिसमें विधवा और अत्यधिक आश्रित वृद्ध महिलाओं की प्रधानता होगी।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- **बेरोज़गारी:** जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग तभी संभव है जब प्रत्येक वर्ष श्रम शक्ति में शामिल हो रहे 70–80 लाख युवाओं को उत्पादक रोजगार मिले।
- 2022 में स्नातकों में बेरोज़गारी दर लगभग 29% थी, जबकि निरक्षरों में यह मात्र 3.4% थी।
- **शिक्षा और कौशल की कमी:** देश के दो-पाँचवाँ युवा माध्यमिक स्तर से नीचे शिक्षित हैं, और मात्र 4% को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त है।
- **लैंगिक असमानता:** महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी काफी कम है, जिससे अर्थव्यवस्था की समग्र संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।
- **रोज़गारविहीन वृद्धि:** आर्थिक वृद्धि के बावजूद पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं हो पा रहे हैं।
- भारत की 80% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में है, जिसमें सुरक्षा और लाभों की कमी है।
  - नई तकनीकों से कम-कुशल श्रम की मांग घट रही है।
- **मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा:** युवाओं में अवसाद, चिंता और तनाव जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं, लेकिन सहयोग तंत्र अपर्याप्त हैं।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** दक्षिणी राज्य तीव्रता से वृद्ध हो रहे हैं, जबकि उत्तरी राज्यों की जनसंख्या युवा है लेकिन उनका ढाँचा कमज़ोर है।
- पिछड़े क्षेत्रों के युवा शहरी केंद्रों की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरों पर दबाव और अप्रतिपूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है।

उपाय

- **कौशल विकास:** *स्किल इंडिया मिशन* जैसे कार्यक्रम लाखों युवाओं को प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र देकर उनकी विभिन्न क्षेत्रों में रोजगारयोग्यता बढ़ाते हैं।
- **शिक्षा सुधार:** *नई शिक्षा नीति 2020* के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- **मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत:** ये पहलें घरेलू निर्माण को बढ़ावा देती हैं, रोजगार सृजित करती हैं और औद्योगिक क्षमता को बढ़ाती हैं।
- **स्टार्टअप ईकोसिस्टम:** *स्टार्टअप इंडिया* अभियान नवाचार को प्रोत्साहित करता है, युवाओं को समर्थन देता है और नए रोजगार अवसर बनाता है।
- **डिजिटल अवसंरचना:** *डिजिटल इंडिया* जैसे कार्यक्रमों से इंटरनेट की पहुँच और डिजिटल साक्षरता का विस्तार हो रहा है, जिससे युवाओं को टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में अवसर मिल रहे हैं।
- **स्वास्थ्य सुधार:** *आयुष्मान भारत* जैसे कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और परिणामों को बेहतर बना रहे हैं।

Source: TH

भारत द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वयम की प्रथम ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने *PM ई-ड्राइव पहल* के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की एक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत ₹500 करोड़ की राशि 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए निर्धारित की गई है।
  - इस राशि का पाँचवां हिस्सा दिल्ली में पंजीकृत वाहनों के लिए समर्पित है।

परिचय

- यह भारत की प्रथम समर्पित योजना है जो विशेष रूप से इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए बनाई गई है; इससे पहले *FAME* (इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका निर्माण) योजना में इन ट्रकों को शामिल नहीं किया गया था।

पात्रता शर्तें

- निर्माता को 5 वर्ष या 5 लाख किलोमीटर (जो भी पहले हो) की बैटरी वारंटी देनी होगी।
- वाहन और मोटर पर 5 वर्ष या 2.5 लाख किलोमीटर की वारंटी अनिवार्य है।
- प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पुराने, प्रदूषणकारी डीज़ल ट्रकों को स्क्रैप करना आवश्यक होगा।

PM ई-ड्राइव योजना के बारे में

- यह योजना *1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026* तक लागू की जाएगी।
- *EMPS-2024* (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना) को इस योजना के अंतर्गत समाहित किया जाएगा।
- **सब्सिडी विवरण**
  - इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी बैटरी क्षमता के आधार पर ₹5,000 प्रति किलोवाट घंटे तय की गई है, लेकिन कुल प्रोत्साहन पहले वर्ष में ₹10,000 से अधिक नहीं होगा।
  - दूसरे वर्ष में यह ₹2,500 प्रति किलोवाट घंटे कर दी जाएगी, और कुल लाभ ₹5,000 से अधिक नहीं होगा।
  - तीन पहिए वाले वाहन, जैसे ई-रिक्शा को पहले वर्ष में ₹25,000 की मांग प्रोत्साहन मिलेगी, जो दूसरे वर्ष में ₹12,500 हो जाएगी।
  - **L5 श्रेणी** (कार्गो तीन पहिए वाले): पहले वर्ष में ₹50,000 का लाभ मिलेगा, दूसरे वर्ष में यह ₹25,000 होगा।
- **ई-वाउचर प्रणाली**
  - भारी उद्योग मंत्रालय EV खरीदारों के लिए *ई-वाउचर* जारी करेगा, जिससे योजना के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन प्राप्त किया जा सके।
  - *एक आधार पर एक वाहन* की अनुमति होगी। जैसे ही वाहन बेचा जाएगा, ई-वाउचर जनरेट होगा।
  - OEM (मूल उपकरण निर्माता) को योजना के मूल उपकरण निर्मातापुनर्भुगतान का दावा करने के लिए हस्ताक्षरित ई-वाउचर अनिवार्य होगा।

- **चार्जिंग स्टेशन**
  - योजना *EV खरीदारों की रेंज एंग्जायटी* को दूर करने के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देती है।
  - ये EVPCS उन चुनिंदा शहरों में लगाए जाएंगे जहाँ EV की पैठ अधिक है, साथ ही कुछ प्रमुख राजमार्गों पर भी।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

भारत के 12 मराठा किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त

संदर्भ

- *यूनेस्को* ने भारत के *'मराठा सैन्य परिदृश्य'* — मराठा साम्राज्य के 12 प्रतिष्ठित किलों — को *विश्व धरोहर सूची* में सम्मिलित किया गया है।

परिचय

- यह ऐतिहासिक मान्यता पेरिस में आयोजित *विश्व धरोहर समिति* के 47वें सत्र में दी गई।
- यह भारत का 44वाँ *यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल* बन गया है, जिससे भारत विश्व स्तर पर छठे और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आ गया है, जहाँ सबसे अधिक धरोहर स्थल मौजूद हैं।

मराठा किलों के बारे में

- ये स्थल महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में फैले हुए हैं, जिनमें महाराष्ट्र के *सल्हेर, शिवनेरी, लोहगड़, खांदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग*, तथा तमिलनाडु का *जिंजी किला* शामिल हैं।
- 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच निर्मित, ये किले मराठा साम्राज्य की *रणनीतिक सैन्य दृष्टि* और *वास्तुशिल्पीय प्रतिभा* को प्रदर्शित करते हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख किले

- **रायगढ़ किला:** यह 1674 से 1818 तक मराठा साम्राज्य की राजधानी रहा।
  - यह सह्याद्री पर्वतों की चोटी पर स्थित है।
- **राजगढ़ किला:** रायगढ़ से पहले यह शिवाजी महाराज की प्रथम राजधानी था।
- **प्रतापगढ़ किला:** यह 1659 में शिवाजी महाराज और अफ़ज़ल खान के बीच प्रसिद्ध युद्ध का स्थल था।
- **सिंधुदुर्ग किला:** यह कोंकण तट के पास एक द्वीप पर स्थित है।
- **विजयदुर्ग किला:** इसे 'पूर्व का जिब्राल्टर' कहा जाता है, क्योंकि यह सशक्त तटीय रक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है।

Source: PIB

कैलाश-मानसरोवर यात्रा पांच वर्ष पश्चात् पुनः प्रारंभ

समाचार में

- *कैलाश-मानसरोवर यात्रा* जून 2025 में पांच वर्षों के निलंबन के बाद पुनः प्रारंभ की गई।

परिचय

- *कैलाश-मानसरोवर* दक्षिण-पश्चिमी तिब्बत में स्थित एक पवित्र क्षेत्र है, जिसमें *माउंट कैलाश* और *मानसरोवर झील* शामिल हैं।
- *मानसरोवर झील* विश्व की सबसे ऊँची स्वच्छ जल की झीलों में से एक है, जो लगभग 4,590–4,600 मीटर की ऊँचाई पर *नगरी प्रीफेक्चर, तिब्बत* में स्थित है, और *माउंट कैलाश* के ठीक दक्षिण में है।

Source: TOI

संचार मित्र योजना

सन्दर्भ

- *दूरसंचार विभाग (DoT)* ने पूरे भारत में *'संचार मित्र योजना'* का विस्तार कर दिया है।

परिचय

- **उद्देश्य:** छात्र स्वयंसेवा के माध्यम से *डिजिटल सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी से बचाव, जिम्मेदार मोबाइल उपयोग*, और *इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड (EMF)* रेडिएशन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना।

- **स्वयंसेवक सहभागिता:**
  - स्वयंसेवकों को *संचार मित्र* कहा जाता है।
  - यह योजना *दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस* और *साइबर सुरक्षा* से संबंधित छात्रों को लक्षित करती है।
  - इन छात्रों को *स्थानीय दूरसंचार विभाग (DoT)* कार्यालयों द्वारा नामित किया जाता है।
- **प्रशिक्षण और अनुभव:**
  - *नेशनल कम्युनिकेशंस अकादमी–टेक्नोलॉजी (NCA-T)* और *DoT* के *मीडिया विंग* द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
  - मुख्य विषय क्षेत्र: *5G, 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)* और *साइबर सुरक्षा*
- **प्रोत्साहन:**
  - उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वयंसेवकों को *इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट कार्य* और *इंडिया मोबाइल कांग्रेस* व *ITU सम्मेलनों* जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है।

Source: PIB

ट्रांस-फैटी एसिड पर संयुक्त राष्ट्र मसौदा घोषणा पर परिचर्चा

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र ने *विश्व आहार से ट्रांस-फैटी एसिड (TFAs) को समाप्त* करने के उद्देश्य से एक *प्रारूप घोषणा* प्रसारित की है।

परिचय

- *ट्रांस-फैट*, विशेष रूप से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-फैट्स को, *जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम* माना जाता है, क्योंकि यह *हृदय रोग* और अन्य *गैर-संक्रामक बीमारियों* के खतरे को बढ़ाता है।
- हालांकि, विशेषज्ञों का तर्क है कि सभी प्रकार के ट्रांस-फैटी एसिड्स को बिना अंतर किए समाप्त करना—चाहे वे *औद्योगिक हों* या *प्राकृतिक स्रोतों से*—विश्व के गरीब वर्गों के *सस्ती और पोषणयुक्त खाद्य पदार्थों* (जैसे दूध और मांस) तक पहुँच के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।

ट्रांस-फैट्स या ट्रांस-फैटी एसिड्स (TFAs)

- ट्रांस-फैट *असंतृप्त वसा* होते हैं, जो *प्राकृतिक रूप से पशु उत्पादों* में या *प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों* में *कृत्रिम रूप से उत्पादित* हो सकते हैं।
- **औद्योगिक ट्रांस-फैट्स:** यह *वनस्पति तेलों* के *आंशिक हाइड्रोजनीकरण* से निर्मित होते हैं।
- **प्राकृतिक (रुमिनेंट) ट्रांस-फैट्स:** यह *दुग्ध* और *मांस उत्पादों* में पाए जाते हैं, जो *गाय, भेड़, बकरी जैसे रुमिनेंट जानवरों* से प्राप्त होते हैं, और *बहुत कम मात्रा* में मौजूद होते हैं।

Source: TH

HtBt कपास

संदर्भ

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि *हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कपास (HtBt)* के मुद्दे को *केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय* के समक्ष उठाया जाएगा, क्योंकि इसकी *अवैध खेती* के मामले सामने आ रहे हैं।

परिचय

- **HtBt कपास** — जिसे *हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कपास* भी कहा जाता है — एक *जेनेटिकली मॉडिफाइड* कपास की किस्म है, जिसमें दो मुख्य गुण शामिल हैं:
  - **बोलवर्म प्रतिरोध:** यह *Bt (Bacillus thuringiensis)* जीन से लिया गया है, जो *बोलवर्म कीटों* के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है।
  - **हर्बिसाइड सहनशीलता:** इसे *ग्लाइफोसेट* जैसे खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयुक्त *हर्बिसाइड* के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- *Bt कपास* भारत की *प्रथम जीएम फसल* थी, जिसे 2002 में *(Bollgard I)* के रूप में प्रस्तुत किया गया और 2006 में *(Bollgard II)* में उन्नत किया गया।
- *HtBt कपास* को अभी तक *जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)* द्वारा *वाणिज्यिक खेती* के लिए अनुमोदन नहीं मिला है।
  - अवैध खेती हालांकि GEAC की अनुमति नहीं है, फिर भी *गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश* और

तेलंगाना जैसे राज्यों में किसान *HtBt कपास* की अवैध खेती कर रहे हैं।

Source: IE

रोडिस इंडिया(RhoDIS India)

सन्दर्भ

- असम वन विभाग ने *गैंडे के सींगों की डीएनए प्रोफाइलिंग* शुरू कर दी है, ताकि *RhoDIS इंडिया* डीएनए डेटाबेस में आनुवंशिक डेटा को जोड़ा जा सके और *वन्यजीव अपराध* के विरुद्ध प्रयासों को सशक्त किया जा सके।

RhoDIS इंडिया कार्यक्रम के बारे में

- इसकी शुरुआत *2016* में हुई थी, जो *पर्यावरण मंत्रालय, भारत के गैंडा-वाले राज्य, वन्यजीव संस्थान (WII)* और *वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया* के सहयोग से की गई थी।
- यह कार्यक्रम *अपराध जांच को वैज्ञानिक रूप से बेहतर बनाने* और भारत की *गैंडा जनसंख्या के वैज्ञानिक प्रबंधन* के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- **महान एक-सींग वाला गैंडा (Great One-horned Rhinoceros)**
  - यह *"भारतीय गैंडा"* के नाम से भी जाना जाता है और *गैंडा प्रजातियों में सबसे बड़ा* होता है।
- **विशेषताएं**
  - **रूप-रंग:** भूरा-ग्रे रंग का, और *बिना बालों वाला*।

  - **आवास:** *हिमालय के दक्षिणी तल* पर स्थित *घासभूमि और झाड़ी क्षेत्र*।
  - **वितरण:** भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में।
  - भारत में ये *असम, पश्चिम बंगाल* और *उत्तर प्रदेश* में पाए जाते हैं।
- **संरक्षण स्थिति**
  - **IUCN स्थिति:** *असुरक्षित* (Vulnerable)
  - **CITES:** *अनुबंध-I*, जिसमें वे प्रजातियाँ शामिल हैं जो *विलुप्ति के खतरे में* हैं; इन प्रजातियों के *नमूनों का व्यापार* केवल *असाधारण परिस्थितियों* में ही अनुमत है।

Source: TH

अस्त्र मिसाइल

संदर्भ

- *DRDO* और *भारतीय वायु सेना* ने स्वदेशी *अस्त्र मिसाइल* का सफल *उड़ान परीक्षण* किया है।
  - यह परीक्षण *ओडिशा के तट* पर *Sukhoi-30 MKI* विमान से *तेज़ गति वाले हवाई लक्ष्यों* को भेदने के लिए किया गया।

अस्त्र मिसाइल के बारे में

- **विकासकर्ता:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)
- **प्रकार:** *बियॉन्ड-विज़ुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM)*
- **मार्ग क्षमता:** 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम
- **मुख्य विशेषताएं**
  - उच्च सटीकता के लिए उन्नत *मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणाली*
  - *प्रत्येक मौसम* और *दिन-रात* संचालन क्षमता
  - *अधिकतम गति:* मैक 4 से अधिक
  - *संचालन ऊँचाई:* 20 किलोमीटर तक
- **महत्व** : यह मिसाइल प्रणाली भारत की *स्वदेशी वायु युद्ध क्षमता* को सशक्त बनाती है और *आत्मनिर्भर भारत* पहल के अंतर्गत रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करती है।

Source: TH